अध्याय–VI

राज्य आबकारी

अध्याय-VI: राज्य आबकारी

6.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व) प्रशासनिक प्रमुख तथा विभाग प्रमुख आबकारी आयुक्त होते हैं। विभाग सात संभागों में विभक्त है जिसके प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर संभाग) होते हैं। सम्बन्धित संभागों के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों के नियन्त्रणाधीन जिला आबकारी अधिकारी और 164 आबकारी निरीक्षक, आबकारी शुल्क व अन्य शुल्कों के आरोपण/संग्रहण की देखरेख तथा नियंत्रण करने के लिए नियुक्त हैं।

6.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग के पास एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है जो वित्तीय सलाहकार के अधीन होता है। इस समूह को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ, समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की अनुपालना की सुनिश्चितता करने के लिये, निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप तथा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार कर निर्धारण के प्रकरणों की मापक जांच करनी होती है।

विगत पांच वर्षो की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान सम्मिलित की गई इकाइयाँ	कुल इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयों का प्रतिशत
2009-10	88	40	128	58	70	55
2010-11	70	40	110	83	27	25
2011-12	27	40	67	60	7	10
2012-13	7	41	48	41	7	15
2013-14	7	41	48	42	6	13

यह देखा गया कि वर्ष 2013-14 के अन्त तक 733 अनुच्छेद बकाया थे जिनमें 249 अनुच्छेद पांच वर्षो से अधिक पुराने थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2008-09 तक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
अनुच्छेद	249	25	87	130	242	0	**733**

इस प्रकार, अत्यधिक बकाया अनुच्छेदों के रहते आन्तरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य विफल रहा।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने तथा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने एवं राजस्व की छीजत को रोकने के लिये बकाया अनुच्छेदों पर युक्तियुक्त कार्यवाही करने पर विचार करना चाहिए।

6.3 भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-14 के दौरान 19 इकाइयों के आबकारी शुल्क, अनुज्ञापत्र शुल्क प्राप्तियों इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेखों की मापक जांच में 3,240 प्रकरणों में ₹ 22.52 करोड़ की, आबकारी शुल्क/अनुज्ञापत्र शुल्क/ब्याज/शास्ति की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमिततायें प्रकट हुई, जोकि निम्नलिखित श्रेणी में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राज्य आबकारी विभाग द्वारा जारी बार अनुज्ञापत्रों की लेखापरीक्षा	1	0.56
2.	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली	203	11.63
3.	विशेष वेण्ड फीस की अवसूली	47	3.82
4.	आवेदन नवीनीकरण फीस की अवसूली	1,334	3.45
5.	मदिरा की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	174	0.86
6.	प्रतिभूति जमा पर ब्याज की अवसूली	1,359	0.62
7.	अन्य अनियमिततायें	122	1.58
योग		**3,240**	**22.52**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 2,772 प्रकरणों में ₹ 7.02 करोड़ के अवमूल्यांकन तथा अन्य अनियमिततायें स्वीकार की जो कि पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लायी गयी थी। वर्ष 2013-14 में 1,788 प्रकरणों में ₹ 2.57 करोड़ की वसूली की गई।

विभाग/सरकार को ड्राफ्ट पैरा जारी किये जाने के पश्चात् विभाग द्वारा दो प्रकरणों में राशि ₹ 18.54 लाख की पूर्ण वसूली की गयी। इनको इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है।

राज्य आबकारी विभाग द्वारा जारी बार अनुज्ञापत्रों की लेखापरीक्षा और कुछ निदर्शी प्रकरणों जिनमें राशि ₹ 5.94 करोड़ सन्निहित है, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों 6.4 से 6.10 में चर्चा की गयी है।

6.4 राज्य आबकारी विभाग द्वारा जारी बार अनुज्ञापत्रों की लेखापरीक्षा

6.4.1 परिचय

राजस्थान का राज्य आबकारी विभाग (विभाग) होटल, रेस्तराँ एवं क्लब बार को अनुज्ञापत्र जारी करता है जो आगन्तुकों को 'परिसर में' उपभोग हेतु मादक पेय अर्थात् बीयर, वाईन, शराब एवं कॉकटेल परोसते हैं। अनुज्ञाधारी अन्य प्रयोजन के लिये अथवा किसी अन्य व्यक्ति को या सीलबंद बोतलों में शराब का विक्रय नहीं कर सकता है।

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 48 के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा एक यथोचित पंजीकृत क्लब, होटल या रेस्तराँ को राजस्थान आबकारी नियम, 1956, होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदाय नियम, 1973, राजस्थान आबकारी (रेस्तराँ बार अनुज्ञप्ति प्रदाय) नियम, 2004 एवं समय-समय की आबकारी नीति के प्रावधानों में निर्धारित शर्तों व उपबन्धों को पूरा करने की स्थिति में बार अनुज्ञापत्र प्रदान किये जा सकते हैं।

6.4.2 लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र एवं उद्देश्य

राज्य के 34 जिला आबकारी अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में 31 दिसम्बर 2013 को आने वाले होटल, हेरिटेज होटल एवं क्लब बार अनुज्ञापत्रों की कुल संख्या 853 थी। इनमें से पांच जिला आबकारी अधिकारी[1] एवं 136 अनुज्ञापत्रों का चयन मापक जांच के लिये किया गया। अनुज्ञापत्रों की निगरानी पर विभाग की कार्यकुशलता तथा प्रभाविकता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मापक जांच की गयी थी। लेखापरीक्षा टिप्पणियों का आगामी अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियां

6.4.3 निर्धारित पंजिका का संधारण नहीं करना

होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदाय नियम, 1973 के नियम 3(4) के अन्तर्गत, बार अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिये प्राप्त आवेदनों के निस्तारण पर दृष्टि रखने के लिये प्रत्येक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 'प्रपत्र ब पंजिका' कहलाने वाली एक पंजिका का संधारण किया जाना होता है। इसमें 13 कॉलम होते हैं यथा आवेदक का नाम, पता, जमा किये प्रारंभिक शुल्क की राशि, चालान संख्या व प्रविष्टि की दिनांक, जिला आबकारी अधिकारी के लघु हस्ताक्षर आदि।

पांच चयनित जिला आबकारी अधिकारियों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 'प्रपत्र ब पंजिका' का संधारण किसी भी कार्यालय में नहीं किया गया था।

[1] अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर शहर, सिरोही और उदयपुर।

विभाग में सुलभ आई.टी. तंत्र, पंजिका में उल्लेखित विवरण को अभिलिखित नहीं करता है। इस प्रकार, बार अनुज्ञापत्रों के सम्बन्ध में प्राप्त एवं निस्तारित आवेदनों की कुल संख्या का पता नहीं लगाया जा सका।

बार अनुज्ञापत्रों हेतु आवेदनों की प्राप्ति व निस्तारण पर नियंत्रण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि विभाग अपने आई.टी. तंत्र में 'प्रपत्र ब पंजिका' का प्रावधान रखने पर विचार करे तथा ऐसे प्रावधान होने तक विभाग द्वारा पंजिका की हार्ड/हस्तलिखित प्रति संधारित की जावे।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2014)। सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि सभी जिला आबकारी अधिकारियों को पंजिका संधारण करने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

6.4.4 बार अनुज्ञापत्र जारी करने में पायी गयी विसंगतियां

वर्ष 2010-11 के लिये आबकारी एवं मद्यसंयम नीति की अनुपालना में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों (9 अप्रेल 2010) में अनुबन्ध था कि बार अनुज्ञापत्र हेतु प्राप्त आवेदन को 30 दिवसों के अन्दर निस्तारित किया जाना चाहिए।

होटल बार/क्लब बार अनुज्ञापत्र प्रदाय नियम, 1973 के नियम 3(1) के अन्तर्गत दिये गये परन्तुक के अनुसार, किसी प्रतिष्ठान को होटल/क्लब बार अनुज्ञापत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पर अनुशंसा करने के लिये सरकार एक समिति का गठन करे। ऐसी समिति की अनुशंसा पर आबकारी आयुक्त अनुज्ञापत्र प्रदान अथवा नवीनीकृत कर सकता है। राज्य सरकार ने होटल/क्लब बार अनुज्ञापत्र प्रदान करने हेतु आवेदनों पर अनुशंसा करने के लिये संभागीय समितियों[2] का पुनर्गठन किया (13 मार्च 2006)।

6.4.4.1 अनुज्ञापत्र जारी करने में देरी

चयनित इकाइयों को वर्ष 2011-13 के दौरान जारी बार अनुज्ञापत्रों की पत्रावलियों की मापक जांच में प्रकट हुआ कि अतिरिक्त आयुक्त, संभाग या आबकारी आयुक्त स्तर पर ध्यान में आयी विसंगतियों/कमियों के कारण 2011-12 में 42 अनुज्ञापत्र तथा 2012-13 में 36 अनुज्ञापत्र 30 दिवसों की निर्धारित समय सीमा के पश्चात् जारी किये गये। परिणामतः अनुज्ञापत्रों पर अन्तिम निर्णय लेने में देरी हुई तथा आबकारी शुल्क एवं परमिट शुल्क की वसूली नहीं हो सकी।

आवेदनों के समयोचित प्रस्तुतीकरण एवं निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा एक चैकलिस्ट निर्धारित की गयी थी। चैकलिस्ट में कुछ

[2] सरकार द्वारा संभागीय समिति के गठन में निम्न को शामिल किया जाता है: (1) अध्यक्ष, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त (2) सदस्य, जिला कलेक्टर का नोमिनी जोकि उपखण्ड अधिकारी के स्तर से कम ना हो। (3) सदस्य सचिव, जिला पर्यटन अधिकारी या सहायक उपनिदेशक पर्यटन विभाग और (4) सदस्य, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी।

सूचना होती है जो आवेदकों द्वारा उपलब्ध करवानी होती है। यदि आवेदक ने कोई अथवा सभी सूचनायें उपलबध नहीं करवाई थी तो उसका आवेदन प्रारंभिक स्तर पर ही सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये जाने योग्य था। यद्यपि, जिला आबकारी अधिकारी ने चैक लिस्ट के उद्देश्य को विफल करते हुए आवेदनों को अनुमोदन हेतु अग्रेषित करने से पूर्व उन्हें पूर्ण नहीं करवाया।

6.4.4.2 अनुज्ञापत्र जारी न होने से राजस्व की हानि

यह भी पाया गया कि बार अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु जिला आबकारी अधिकारी अलवर, भीलवाड़ा व जयपुर शहर को प्रस्तुत, वर्ष 2010-11 हेतु 3 आवेदनों[3] तथा वर्ष 2011-12 हेतु 6 आवेदनों[4] पर उसी वर्ष के अन्दर अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने में विभाग विफल रहा। वांछित स्वीकृति प्राप्त होने में देरी के कारण आवेदकों ने विभाग से अगले वर्ष हेतु स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। विभाग ने अनुरोध स्वीकार कर प्रारम्भिक शुल्क तथा प्रक्रिया शुल्क को अगले वर्ष के लिये समायोजन करने की अनुमति देकर तद्नुसार अगले वर्ष के लिये अनुज्ञापत्र जारी कर दिये गये। इस प्रकार, ये होटल पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान व्यवसाय नहीं कर सके। यदि विभाग ने शीघ्र कार्यवाही की होती तथा समयोचित अनुज्ञापत्र जारी किये होते तो ₹ 56.00 लाख के राजस्व की वसूली की जा सकती थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2014)। सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि स्वीकृति की प्रक्रिया में समय लगता है तथा आवेदन को अगले वर्ष के लिये स्वीकार करने की स्थिति में प्रक्रिया शुल्क पुनः प्रभारित किया जाता है। यह भी सूचित किया गया कि अनुज्ञापत्र की स्वीकृति पर अनुज्ञाशुल्क देय/समायोज्य था।

तथापि, तथ्य यह है कि विभागीय निर्देशों के बावजूद बार अनुज्ञापत्र जारी करने में देरी हुई। इससे यह भी प्रकट होता है कि विभाग अनुज्ञापत्र प्रक्रिया को 30 दिवसों की अवधि में पूर्ण करने सम्बन्धी स्वयं अपने निर्देशों की पालना नहीं कर रहा था।

6.4.5 तथ्यों के अपूर्ण एवं गलत परीक्षण के कारण देरी

आबकारी आयुक्त द्वारा 2011-13 के दौरान जारी अनुज्ञापत्रों की मापक जांच में यह पाया गया कि जिला आबकारी अधिकारी ने बार अनुज्ञापत्र प्रदान करने हेतु निर्धारित मापदण्डों के संदर्भ में आवेदनों का परीक्षण एवं मूल्यांकन नहीं किया एवं सभी आवेदनों को समिति को उनके अनुशंसा हेतु अग्रेषित कर दिया। इस प्रकार,

[3] अलवर के होटल माईटी डेज और चौधरी होटल तथा जयपुर का बोटिक होटल।

[4] होटल जगदम्बा पैलेस एण्ड रेस्टोरेन्ट और जनता भीलवाड़ा में और जयपुर में मैंगो, छवि होलिडेज, हेरिटेज विलेज तथा ट्री ऑफ लाईफ।

विभाग ने अपना प्रमुख उत्तरदायित्व समिति पर डाल दिया। आगे, किसी निर्धारित चैक लिस्ट की अनुपस्थिति में, समितियां अपनी कार्यप्रणाली में एकरूप नहीं थी।

लेखापरीक्षित 78 प्रकरण पत्रावलियों से यह प्रकट हुआ कि आठ प्रकरणों में समितियों ने बार अनुज्ञापत्र हेतु आवश्यक निम्न तालिका में उल्लेखित आधारभूत शर्तों की जांच के बिना बार अनुज्ञापत्र प्रदान करने की अनुशंसा कर दी:

क्र.सं.	समिति द्वारा नहीं जांचें गये बिन्दु	आवेदकों के नाम
1.	आवेदन के साथ प्रारम्भिक शुल्क जमा नहीं करवाया गया था।	मुकेश होटल और रेस्तराँ, श्रीगंगानगर; आमंत्रण कम्फर्ट होटल, उदयपुर एवं जीवन तारा क्लब एण्ड रिसोर्ट, उदयपुर।
2.	आवेदक द्वारा होटल निर्माण के लिये निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया था।	होटल रूप पैलेस, जयपुर।
3.	स्वामित्व तथा सम्पत्ति के वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-परिवर्तन के प्रमाण आवेदनों के साथ संलग्न नहीं थे।	होटल महारानी पैलेस, श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर; कूकस इन होटल, जयपुर एवं होटल टोपाज, टोंक।
4.	आवेदक द्वारा सड़क की चौड़ाई, पार्किंग तथा पृथक शौचालयों सम्बन्धी मानकों का पालन नहीं किया गया था।	होटल डोडाज् पैलेस, जयपुर।

उपरोक्त प्रकरणों में समिति ने, बिना यह सुनिश्चित किये कि होटल बार अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये आवश्यक शर्तों को पूरा किया गया था, आवेदकों के पक्ष में अनुशंसा कर दी। यद्यपि, आबकारी आयुक्त स्तर पर गल्तियां चिन्हित कर ली गयी। फलत: अनुज्ञापत्र जारी करने में देरी हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2014)। सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि सभी जिला आबकारी अधिकारियों को एक नई चैक लिस्ट जारी की गयी है तथा उन्हें प्रत्येक बिन्दु की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

6.4.6 स्टॉक पंजिका में विसंगतियां

चयनित इकाइयों के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा के लिये प्रस्तुत 333 (2012-13 के दौरान संधारित) में से 111 स्टॉक पंजिकाओं के परीक्षण से प्रकट हुआ कि बार अनुज्ञापत्रधारी अपनी स्टॉक पंजिकाओं को उचित और सही तरीके से संधारित नहीं कर रहे थे। स्टॉक पंजिकाओं के संधारण के सम्बन्ध में उचित दिशा-निर्देशों तथा आबकारी अधिकारियों द्वारा सत्यापन/जांच के अभाव में काफी संख्या में अनियमिततायें पायी गयी जिससे विदित हुआ कि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा अन्य सामाजिक पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए विभाग ने बार

अनुज्ञाधारियों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण हेतु ध्यान नहीं दिया। कुछ अनियमितताओं को **परिशिष्ट** में दिखाया गया है।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2014)। सरकार ने प्रत्युत्तर दिया कि सम्बन्धित होटलों से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा इस सम्बन्ध में सभी अतिरिक्त आयुक्तों, संभाग एवं जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्टॉक पंजिकाओं में की गयी प्रविष्टियों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिये उनका नियमित आधार पर सत्यापन/जांच हो।

6.4.7 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

बार अनुज्ञापत्रों हेतु आवेदनों की प्राप्ति व निस्तारण पर नियंत्रण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि विभाग अपने आई.टी. तंत्र में 'प्रपत्र ब पंजिका' के प्रावधान रखने पर विचार करे तथा ऐसे प्रावधान होने तक विभाग द्वारा पंजिका की हार्ड/हस्तलिखित प्रति संधारित की जावे।

अनुज्ञापत्र प्रक्रिया को 30 दिवसों के अन्दर पूर्ण करने सम्बन्धी विभागीय निर्देशों के बावजूद बार अनुज्ञापत्रों को जारी करने में देरी हुई। अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के लिये इन निर्देशों की कठोरता से पालना की आवश्यकता है।

विभाग ने आवेदनों के परीक्षण के अपने प्रमुख उत्तरदायित्व को संभागीय समितियों पर डाल दिया। फलत: अनुज्ञापत्रों को जारी करने में देरी हुई। संभागीय समितियां अपनी कार्यप्रणाली में एकरूप नहीं थी अथवा बार अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिये आवश्यक सभी पहलुओं के परीक्षण की स्थिति में नहीं थी। विभाग द्वारा प्रकरणों का परीक्षण नियमनिष्ठता से किया जावे।

विभागीय निरीक्षण किया जाये ताकि व्यवसायियों के लेखों में विसंगतियों को समय पर ठीक किया जा सके।

6.5 विशेष वेण्ड फीस की अवसूली

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69 के उप नियम (6) के अनुसार विदेशी मदिरा के रिटेल ऑन, रिटेल ऑफ एवं कम्पोजिट रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों को भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर के विक्रय पर क्रमश: ₹ 10 और ₹ 5 प्रति बल्क लीटर की दर से स्पेशल वेण्ड फीस देनी होगी।

जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर और बीकानेर द्वारा जारी परमिटों की मापक जांच में पाया गया (सितम्बर 2013 और जनवरी 2014 के मध्य) कि अवधि 1 अप्रेल 2012 से 4 नवम्बर 2012 के दौरान जयपुर तथा बीकानेर स्थित केन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट के थोक डिपो द्वारा राज्य में इनके रिटेल ऑफ लाइसेंसधारियों (इकाई संचालित केन्टीन्स) को 34.83 बल्क लीटर आई.एम.एफ.एल.

तथा 4.23 लाख बल्क लीटर बीयर का विक्रय किया गया था। तथापि, आईएमएफएल पर ₹ 3.48 करोड़ तथा बीयर पर ₹ 21.17 लाख की स्पेशल वेण्ड फीस न तो केन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट द्वारा जमा करायी गयी न ही विभाग द्वारा मांग की गयी। परिणामस्वरूप राशि ₹ 3.69 करोड़ स्पेशल वेण्ड फीस की अवसूली रही।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि 5 नवम्बर 2012 से लगातार वसूली की जा रही है तथा पिछली वसूली हेतु जयपुर शहर एवं बीकानेर के जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये है। यह भी अवगत कराया गया है कि यदि वसूली नहीं की जा सकेगी तो इस हेतु राजस्व छूट का प्रस्ताव बना कर प्रस्तुत किया जावेगा। प्रकरण पर अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2014)।

6.6 अन्य राज्यों को निर्यातित बीयर के मार्गीय क्षति पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 के नियम 41 के अनुसार ब्रेवरी से कोई भी बीयर की मात्रा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 28 के अन्तर्गत देय आबकारी शुल्क जमा कराये बिना अथवा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार राज्य के बाहर निर्यात की जाने वाली बीयर के मामलों में ब्रेवर द्वारा प्रपत्र आर.बी. 11 या आर.बी. 12 में बॉण्ड का निष्पादन किये बिना ब्रेवरी से नहीं भेजी जावेगी। बॉण्ड की शर्त संख्या (2) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि बॉण्ड में दर्शित बीयर की मात्रा निर्धारित स्थल तक नहीं पहुंच पाती है तो ब्रेवर के कारण सहनी पड़े ऐसी किसी क्षति, जो सरकार को ऐसी गैर-सुपुर्दगी अथवा कम सुपुर्दगी के कारण सहनी पड़े, के लिये प्रभावी दर से शुल्क की मांग का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा। नियमों में दूसरे राज्यों को प्रेषित बीयर में मार्गीय क्षति के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।

जिला आबकारी अधिकारी, अलवर एवं बहरोड़ के क्षेत्राधीन पांच ब्रेवरी[5] द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान निर्यातित बीयर के आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्रों की संवीक्षा के दौरान पाया गया (सितम्बर 2013, दिसम्बर 2013 और जनवरी 2014) कि बॉण्ड के अन्तर्गत राज्य के बाहर बीयर के निर्यात की प्रक्रिया के दौरान 1,54,825.87 बल्क लीटर (19,851 कार्टन) बीयर जिसमें राशि ₹ 66.66 लाख का आबकारी शुल्क सन्निहित है, की सुपुर्दगी गन्तव्य स्थान पर कम की गयी अथवा नहीं की गयी। कम सुपुर्दगी को मार्गीय क्षति के रूप में दर्शाया गया था।

आबकारी शुल्क का भुगतान न तो ब्रेवर द्वारा किया गया और न ही विभाग द्वारा मांग की गयी। विभाग द्वारा ब्रेवरी पर पदस्थापित सम्बन्धित सहायक आबकारी अधिकारियों द्वारा ई.वी.सी. में मार्गीय क्षति दर्शाये जाने के बावजूद भी मांग कायम

[5] मैसर्स कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्रा. लि., अलवर; मैसर्स यूनाईटेड ब्रेवरीज लि., भिवाड़ी; मैसर्स रोचिज ब्रेवरीज लि., नीमराना; मैसर्स माउण्ट शिवालिक इण्डिया प्रा. लि., बहरोड़ और मैसर्स दीवान मॉडर्न ब्रेवरीज लि., बहरोड़।

नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप राज्य आबकारी शुल्क राशि ₹ 66.66 लाख का अनारोपण रहा।

ध्यान में लाये जाने के बाद (अक्टूबर 2013 और अप्रेल 2014 के मध्य), सरकार ने बताया (जुलाई 2014) कि एक इकाई के सम्बन्ध में राशि ₹ 5.13 लाख की वसूली (मार्च 2014) की जा चुकी थी। बकाया प्रकरणों पर सूचना प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

6.7 अपेय बीयर पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

बंधित भण्डागारों की स्थापना की शर्तों एवं निर्बन्धनों के अनुसार अनुज्ञा अवधि के दौरान बॉण्ड में मदिरा की हानि के लिये राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। किसी हानि के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञाधारी के स्तर पर युक्तियुक्त सावधानियों से हानि रोकी जा सकती थी, उसे इस प्रकार हुई मदिरा हानि के लिये शुल्क अदा करना होगा तथा आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं अनुज्ञाधारी पर बाध्यकारी होगा।

राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लि. की लिकर सोर्सिगं पॉलिसी 2008-09 के बिन्दु संख्या 9.6 के अनुसार बीयर का स्टॉक उसके बोटलिंग की तिथि/माह से छः माह से अधिक अवधि तक विक्रय नहीं होने की स्थिति में, मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त होगा और उसे बहा कर नष्ट किया जाना होगा।

जिला आबकारी अधिकारी बहरोड़ के क्षेत्राधीन दो ब्रेवरी[6] के वर्ष 2012-13 के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया (दिसम्बर 2013) कि बीयर के 7,609 कॉर्टन उनके उत्पादित होने के दिनांक से छः माह से अधिक अवधि तक विक्रय न होने के कारण भण्डागारों में अपेय हो चुके थे। तथापि, विभाग द्वारा ना तो शुल्क की वसूली की गई और ना ही प्रकरण को आयुक्त, राज्य आबकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। इसके परिणामस्वरूप आबकारी शुल्क ₹ 29.41 लाख की अवसूली रही।

ध्यान में लाये जाने के बाद (दिसम्बर 2013 और अप्रेल 2014 के मध्य) सरकार द्वारा अवगत (जुलाई 2014) कराया गया कि दोनो इकाइयों से राशि ₹ 28.55 लाख की वसूली की जा चुकी है। बकाया राशि के सम्बन्ध में वसूली की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

6.8 बन्धपत्राधीन परिवहनित शोधित प्रासव की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

राजस्थान स्टॉक टेकिंग एण्ड वेस्टेज ऑफ लिकर नियम, 1959 के नियम 5 के अनुसार बन्धपत्र के अधीन परिवहनित प्रासव में रिसाव या वाष्पीकरण के कारण वास्तविक हानि के लिए यात्रा की अवधि के अनुसार 0.2 प्रतिशत से 0.4

[6] ऐरियन ब्रेवरीज एण्ड डिस्टलरीज लि. और मैसर्स यूनाईटेड ब्रेवरीज लि., भिवाड़ी।

प्रतिशत तक की छूट देय है। हानि की गणना डिस्टलरी से प्रेषित मात्रा में से गन्तव्य स्थान पर प्राप्त की गई मात्रा को घटाकर की जायेगी, दोनों ही मात्रा लन्दन प्रुफ लीटर (एल.पी.एल.) में होगी।

अनुमत्य छूट से अधिक क्षति पर नियम 5(5) के अन्तर्गत आबकारी शुल्क आरोपणीय है। तथापि, ऐसे शुल्क की प्रभार्यता से पूर्व आबकारी आयुक्त, प्रासव प्रेषक को सुनवायी का पर्याप्त अवसर देगा और यदि वह यह पाता है कि क्षति दुर्घटनावश हुई जिसमें पक्षकार की तरफ से कोई भूल नहीं हुई है और या ऐसा कोई कारण जिसमें उसका कोई वश नहीं था, पर आबकारी शुल्क देय नहीं होगा।

जिला आबकारी अधिकारी, बहरोड़ के क्षेत्राधीन मैसर्स ओजस इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., नीमराना के वर्ष 2012-13 के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (जनवरी 2014) कि 33,260.00 एल.पी.एल. प्रेषित शोधित प्रासव के विरूद्ध सम्बन्धित इकाई में 21,432.74 एल.पी.एल. शोधित प्रासव प्राप्त दिखाया गया था, जिसमें अनुमत्य क्षति 133.04 एल.पी.एल. से 11,694.22 एल.पी.एल. शोधित प्रासव की परिवहन में अधिक क्षति थी। ऐसी आधिक्य क्षति पर परेषण के समय प्रभावी दर ₹ 170 प्रति एल.पी.एल. से ₹ 19.88 लाख का आबकारी शुल्क आरोपणीय था। तथापि, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा न तो शुल्क की मांग की गयी और न ही प्रकरण को युक्तियुक्त कार्यवाही हेतु आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया गया।

अवगत कराये जाने के बाद (जनवरी 2014 और अप्रेल 2014 के मध्य) सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (सितम्बर 2014) और बताया गया कि राजस्थान स्टॉक टेकिंग एण्ड वेस्टेज ऑफ लिकर नियम, 1959 के नियम 5 के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त पक्षकार को सुनकर निर्णय करेगें। अग्रिम प्रगति, यद्यपि, प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

6.9 बीयर उत्पादन में हुई अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 के नियम 49-ए के अनुसार बीयर उत्पादन में किण्वित कुल मात्रा के सात प्रतिशत अथवा वास्तविक क्षति, जो भी कम हो, की दर से क्षति अनुमत्य है। आगे, नियम 26 में यह उल्लेखित है कि ब्रेवरी पर नियुक्त प्रभारी अधिकारी का यह विशेष कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि ब्रेवर द्वारा ब्रेवरी बुक फार्म आर.बी. 4 में प्रविष्टियां तुरन्त और सही ढंग से की गई है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान स्टॉक टेकिंग एण्ड वेस्टेज ऑफ लिकर (डिस्टलरी एण्ड वेयर हाउस) नियम, 1959, के नियम 7 के अनुसार प्रभारी अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक प्रकार की क्षति हेतु मासिक आधार पर विवरण बनाये तथा अगले माह के प्रथम सप्ताह में जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करें। बंधित भण्डागार की स्थापना की शर्तो एवं निर्बन्धनों के नियम, 1956 के नियम 8 के अनुसार अनुज्ञाधारी अधिक क्षति पर शुल्क के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

जिला आबकारी अधिकारी अलवर के क्षेत्राधीन मैसर्स कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्रा.लि., अलवर द्वारा वर्ष 2012-13 में बीयर उत्पादन के लिये संधारित ब्रेवरी बुक फार्म आर.बी. 4 ब्रेवर और मासिक स्टेटमेन्ट की संवीक्षा में पाया गया कि जुलाई 2012 में ब्रेवर द्वारा 41.01 लाख बी.एल. बीयर (ब्रेवरी बुक आर.बी. 4 के अनुसार) के स्थान पर 40.06 लाख बी.एल. बीयर का उत्पादन दिखाया गया था। उपरोक्त उत्पादन के आधार पर जुलाई 2012 के दौरान अनुमत्य क्षति सात प्रतिशत से 0.81 लाख बी.एल. बीयर की अधिक क्षति निम्नानुसार पाई गई:

क्र.सं.	मदें	आर.बी. 4 में दर्शायी गई मात्रा (बल्क लीटर में)	मासिक स्टेटमेन्ट में दर्शायी गई मात्रा (बल्क लीटर में)
1.	प्रारम्भिक शेष	13,66,174.00	13,66,174.00
2.	जुलाई 2012 में उत्पादन	41,00,996.00	40,05,624.00
3.	योग (1+2)	54,67,170.00	53,71,798.00
4.	माह के अन्त में शेष	16,80,899.60	16,80,899.60
5.	उत्पादन हेतु जारी बीयर (3-4)	37,86,270.40	36,90,898.40
6.	शुद्ध उत्पादन	34,40,199.96	34,40,199.96
7.	उत्पादन में हुई बीयर की क्षति की मात्रा (5-6)	3,46,070.44	2,50,698.44
8.	अनुमत्य क्षति (क्र.सं. 5 का 7 प्रतिशत)	2,65,038.93	2,58,362.89
9.	अधिक क्षति की मात्रा (7-8)	81,031.51	-

तथापि, जिला आबकारी अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी द्वारा न तो अधिक क्षति के कारणों का विश्लेषण किया और न ही ब्रेवर से अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की मांग की गयी। इसके परिणामस्वरूप राज्य आबकारी शुल्क राशि ₹ 36.92 लाख का अनारोपण रहा।

अवगत कराये जाने के बाद (अक्टूबर 2013 और अप्रेल 2014 के मध्य) सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (जुलाई 2014) कि वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

6.10 देशी मदिरा दुकानों से कम्पोजिट फीस की कम वसूली

वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 की राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीतियों के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका सीमा के पांच किलोमीटर के अन्दर अवस्थित कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट अनुज्ञाशुल्क उस नगर पालिका क्षेत्र में अवस्थित भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों के लिये देय अनुज्ञाशुल्क की समान दर से ली जावेगी।

जिला आबकारी अधिकारी, बारां के वर्ष 2010-11 के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (अक्टूबर 2013) कि चार कम्पोजिट दुकानें[7] नगरपालिका सीमा के पांच किलोमीटर के अन्दर अवस्थित थी। चार कम्पोजिट दुकानों से विभाग द्वारा अनुज्ञाशुल्क की वसूली, ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित दुकानों हेतु लागू दरों पर की गयी थी, जबकि उनसे नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित दुकानों के लिये देय दरों पर वसूली करनी थी। इसके परिणामस्वरूप कम्पोजिट शुल्क ₹ 15.95 लाख की कम वसूली की गयी जैसाकि निम्न सारणी में दर्शाया है:

क्र. सं.	दुकान का नाम	नजदीकी नगरपालिका क्षेत्र	देय कम्पोजट शुल्क	वसूल किया गया कम्पोजिट शुल्क	कम्पोजिट शुल्क की कम वसूली
1.	बोमालिया कलां	अन्ता (बारां)	3,.90,000	36,236	3,53,764
2.	पलायथा	अन्ता (बारां)	3,.90,000	61,587	3,28,413
3.	फतेहपुर	बारां	4,.80,000	37,571	4,42,429
4.	मन्डोला	बारां	4,.80,000	10,000	4,70,000
योग					**15,94,606**

ध्यान में लाने पर (अप्रेल 2014) सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2014) कि राशि ₹ 9.91 लाख की वसूली की जा चुकी है। बकाया राशि की वसूली की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

[7] कम्पोजिट दुकानें वे दुकानें है जिनके पास भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा की खुदरा बिक्री का अनुज्ञापत्र है।